रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240019 CG-DL-E-03112022-240019

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4901]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

No. 4901]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5120(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में No Yet to be Assigned के कि.मी. 36 से कि.मी. 56.8 (प्रांत औफस, डीसा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (6/8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रैसवे आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब् डिभिशनल् मेझस्ट्रेय्ट, डीसा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपित्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपित्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपित्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

7306 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में No Yet to be Assigned के कि.मी. 36 से कि.मी. 56.8 (प्रांत औफस, डीसा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: बनासकांठा						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
तालुक का नाम: कांकरेज						
गांव का नाम: चेखला						
1	748	निजी	कृषि	0.0532000(हेक्टेयर)	0.0532000	
2	931	सरकारी	रोड	1.4992000(हेक्टेयर)	1.4992000	
गांव का नाम: फतेगठ						
1	212	निजी	कृषि	1.2217000(हेक्टेयर)	1.2217000	
2	213 (1513)	निजी	कृषि	0.6664000(हेक्टेयर)	0.6664000	
3	214 (1506 p1)	निजी	कृषि	1.6518000(हेक्टेयर)	1.6518000	
4	215 (1506 p2)	निजी	कृषि	1.0414000(हेक्टेयर)	1.0414000	
5	216 (1505 p1)	निजी	कृषि	0.7692000(हेक्टेयर)	0.7692000	
6	217 (1505 p2)	निजी	कृषि	0.9298000(हेक्टेयर)	0.9298000	
गांव का नाम:	खिमाना (पालोदर ना व	ास)				
1	415 (698)	निजी	कृषि	0.0535000(हेक्टेयर)	0.0535000	
2	417 (700)	सरकारी	पडतर	0.1305000(हेक्टेयर)	0.1305000	
3	418 (699)	निजी	कृषि	0.0868000(हेक्टेयर)	0.0868000	
4	428 (701 P2)	निजी	कृषि	0.0941000(हेक्टेयर)	0.0941000	
5	429 (701 P1)	निजी	कृषि	0.0054000(हेक्टेयर)	0.0054000	
6	430 (704)	निजी	कृषि	0.0046000(हेक्टेयर)	0.0046000	
7	431 (705)	निजी	कृषि	0.0157000(हेक्टेयर)	0.0157000	
8	445 (758/4 P1)	निजी	कृषि	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000	
9	446 (759 P3)	निजी	कृषि	0.0287000(हेक्टेयर)	0.0287000	
10	448 (761/2)	निजी	कृषि	0.0035000(हेक्टेयर)	0.0035000	
11	544	निजी	कृषि	0.3576000(हेक्टेयर)	0.3576000	
12	667	निजी	कृषि	0.4982000(हेक्टेयर)	0.4982000	
13	669 (824)	निजी	कृषि	0.0469000(हेक्टेयर)	0.0469000	

16	708	निजी	कृषि	2.0721000(हेक्टेयर) 11.2651	2.0721000 11.2651
15	673 (828/ Paiki 1)	निजी	कृषि	0.0046000(हेक्टेयर)	
14	672 (828/ Paiki 2)	निजी	कृषि	0.0074000(हेक्टेयर)	0.0074000

फा. सं. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5120(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (6/8 lane greenfield expressway etc.,), maintenance, management and operation of No Yet to be Assigned in the stretch of land from Km 36 to Km56.8 (Prante Office, Deesa) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate, Deesa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling No Yet to be Assigned in the stretch of land from Km. 36 to Km. 56.8 (Prante Office, Deesa) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT District: Banaskantha					
Sr. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kankrej					
Village: Chekhala					
1	748	Private	Agriculture	0.0532000(Hectare)	0.0532000
2	931	Government	Road	1.4992000(Hectare)	1.4992000
Village: Fategadh					
1	212	Private	Agriculture	1.2217000(Hectare)	1.2217000
2	213 (1513)	Private	Agriculture	0.6664000(Hectare)	0.6664000
3	214 (1506 p1)	Private	Agriculture	1.6518000(Hectare)	1.6518000
4	215 (1506 p2)	Private	Agriculture	1.0414000(Hectare)	1.0414000
5	216 (1505 p1)	Private	Agriculture	0.7692000(Hectare)	0.7692000

6	217 (1505 p2)	Private	Agriculture	0.9298000(Hectare)	0.9298000		
Village: Khimana(Palodar Navas)							
1	415 (698)	Private	Agriculture	0.0535000(Hectare)	0.0535000		
2	417 (700)	Government	Padtar	0.1305000(Hectare)	0.1305000		
3	418 (699)	Private	Agriculture	0.0868000(Hectare)	0.0868000		
4	428 (701 P2)	Private	Agriculture	0.0941000(Hectare)	0.0941000		
5	429 (701 P1)	Private	Agriculture	0.0054000(Hectare)	0.0054000		
6	430 (704)	Private	Agriculture	0.0046000(Hectare)	0.0046000		
7	431 (705)	Private	Agriculture	0.0157000(Hectare)	0.0157000		
8	445 (758/4 P1)	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000		
9	446 (759 P3)	Private	Agriculture	0.0287000(Hectare)	0.0287000		
10	448 (761/2)	Private	Agriculture	0.0035000(Hectare)	0.0035000		
11	544	Private	Agriculture	0.3576000(Hectare)	0.3576000		
12	667	Private	Agriculture	0.4982000(Hectare)	0.4982000		
13	669 (824)	Private	Agriculture	0.0469000(Hectare)	0.0469000		
14	672 (828/ Paiki 2)	Private	Agriculture	0.0074000(Hectare)	0.0074000		
15	673 (828/ Paiki 1)	Private	Agriculture	0.0046000(Hectare)	0.0046000		
16	708	Private	Agriculture	2.0721000(Hectare)	2.0721000		
Total 11.2651					11.2651		

[F. No. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3A] RAJESH GUPTA, Director